भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2193
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सऊदी अरब में फंसे भारतीय कामगारों का प्रत्यावर्तन और कल्याण

2193. **श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसे भारतीय कामगारों की जानकारी है जो वर्तमान में सऊदी अरब में वेतन के पैसे नहीं मिलने के कारण या कानूनी दर्जा खोने के कारण फंसे हुए हैं और यदि हाँ, तो ऐसे कामगारों की अनुमानित संख्या का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों द्वारा तत्काल राहत उपाय, भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता के रूप में उन्हें कैसी सहायता प्रदान की गई है और बकाया राशि का भुगतान करने तथा निकासी परमिट प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए आपातकालीन यात्रा दस्तावेजों और सऊदी नियोक्ताओं के साथ लागत को साझा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और अब तक क्या प्रगति हुई है; और
(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या दीर्घकालिक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें भर्ती एजेंटों के लिए सख्त नियमन, अनिवार्य बीमा और सऊदी अरब जाने वाले कामगारों के लिए प्रस्थान-पूर्व जानकारी देने की प्रक्रिया में सुधार शामिल है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क), (ख) और (ग) सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास/कोंसलावास को समय-समय पर भारतीय श्रमिकों से वेतन का भुगतान न होने, पासपोर्ट जब्त होने, निवास कार्ड जारी न होने/नवीनीकरण न होने के कारण वैध स्थिति का न होना, प्रायोजक/नियोक्ता द्वारा निकास परमिट प्रदान न किए जाने आदि समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर दूतावास/कोंसलावास से संपर्क करने के लिए चैनल स्थापित हैं। वे प्रत्यक्ष संपर्क, ईमेल, बहुभाषी **24x7** आपातकालीन नंबरों, व्हाट्सएप नंबर,मदद/सीपीजीएएमएस/ई-माइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दूतावास/कोंसलावास से

संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए समर्पित श्रमिक शाखाएँ हैं। भारतीय श्रमिकों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए रियाद और जेद्दा में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूतावास/कोंसलावास दूरदराज के इलाकों में कोंसली शिविर भी आयोजित करता है।

भारतीय नागरिकों, जिनमें श्रमिक भी शामिल हैं, से कोई शिकायत प्राप्त होने पर, दूतावास/कोंसलावास सक्रिय रूप से संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के समक्ष इसे उठाता है और यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित श्रमिक के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। इन मुद्दों के निवारण हेतु इन्हें स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाता है।

दूतावास/कोंसलावास समय-समय पर संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को योग्यता के आधार पर वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करता है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, मुख्य सहायता में भोजन एवं आवास, भारत के लिए हवाई यात्रा, विधिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर को भारत लाना तथा छोटे-मोटे जुर्माने और दंड का भुगतान शामिल है।

(घ) सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पी-डॉट) जैसी अनेक पहल की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी श्रमिक सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छे कार्य और रहने की स्थिति प्राप्त हो, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच हो।

पीबीबीवाई एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में रोज़गार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण नौकरी छूटने की स्थिति में **10** लाख रुपये का बीमा कवर और अन्य लाभ प्रदान करती है जिसमें दो वर्षों के लिए **275** रुपये या तीन वर्षों की वैधता अवधि के लिए **375** रुपये का मामूली बीमा प्रीमियम देना होता है।

*****